

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965

(क्रमांक 23 सन् 1965)

THE MADHYA PRADESH MADHYAMIK SHIKSHA ADHINIYAM 1965 (No. 23 OF 1965)

> भोपाल शासन केन्द्रीय मुद्रणालय 1965

विधि विभाग



मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965

(क्रमांक 23 सन् 1965)

THE MADHYA PRADESH MADHYAMIK SHIKSHA ADHINIYAM 1965 (No. 23 OF 1965)

> भोपाल शासन केन्द्रीय मुद्रणालय 1995

MADHYA PRADESH ADHINIYAM

No. 23 of 1965

THE MADHYA PRADESH MADHYAMIK SHIKSHA ADHINIYAM, 1965

TABLE OF CONTENTS

Sections-

CHAPTER I-PRELIMINARY

- 1. Short title, extent and commencement.
- 2. Definitions

CHAPTER II—ESTABLISHMENT OF THE BOARD OF SECONDARY EDUCATION, ITS CONSTITUTION, FUNCTIONS, ETC.

- 3 Incorporation of Poard.
- Constitution of Board.
- Appointment of Chairman, term of office and conditions of his service.
- Term of office and filling of casual vacancy, etc.
- 7. Quorum.
- 8. Powers of the Board.
- *[8-A. Disqualification for being member of the Board.]
 - Powers of the State Government.
- Constitution of Board Fund.
- Custody and investment of Board Fund.
- Application of Board Fund.
- Budget.
- 14. Audit and accounts of Board,
- Powers and duties of Chairman.
- Appointment, powers and duties of Vice-Chairman.

^{*} Section 8-A substituted by section 8 of the Madhye Pradesh Act, No. 11 of 1979

मध्यप्रवेश अविनियम

श्रमांच 23 चन् 1965

मध्यप्रवेश माध्यमिक शिक्षा निधिनियम, 1965

विषय-सूची.

पहला बच्याय-प्रार्थिक

1.	संसिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2	परिजामार्य,
	बुकरा बच्याव-माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना, उसका गठन, उसके कृत्य, आदि
3.	वण्डल का निराम.
4.	मण्डल का गठन,
S.	चंन्क्रपतिः की नियुक्ति तथा उसकी पदाविक्ष एवं सेवा सर्वे.
6.	फ्टाव्यधि और वाकस्थिक रिक्स स्थानों की पूर्ति, आदि.
7.	सम्बद्धिः
8.	मण्डल की शक्तियां.
*[8. 专 .	मण्डल का सदस्य होने के लिये निरहिता.)
9.	रांच्य शासन की सक्तिया.
10.	मण्डम निश्चि का गठन.
11.	मण्डल निर्देख की अभिरक्षा और उसका विभिधान.
12	मण्डल निश्चि का उपयोगः
13.	लवाट.
14.	मण्यान के लेखाओं की लेखा-परीक्षा.
15.	संबन्धति की शक्तियां तथा कर्तन्यः

ज्यवनापति की निसुक्ति, उसकी शक्तियां और उसके कर्त्व्य.

बारा 8-क मझ्लब्रेस महिनियम क्रमांन 11 सन् 1979 की बारा 8 तारा स्वापित की गई.

Sections-

- 17. Officers and servents of Board.
- 18. Powers and duties of Secretary.
- 19. Executive Committee.

CHAPTER HI-DIVISIONAL BOARD

**20.	[+			* }
**21.	[*			*1
**.22.	I.e.	*	*	• 1
**23.	[=		*	* }

*[23.-A. Termination of appointment of examiners, etc. for any remunerative work of the Bloard.]

CHAPTER IV-MISCELLANEOUS

- 24. Constitution of Committees, etc.
- Exercise of powers delegated by Board to Committee, etc.
- 26. Proceedings not invalidate by reason of vacancies, etc.
- 27. Power to make rules.
- 28. Powers of Board to make Regulations.
- **29. (* * . * * *

CHAPTER V-REPEAL, FTC.

30. Repeal and Saving.

大な

- Transitory Provisions.
- 32. Powers to remove difficulty.

[&]quot; Inserted by mexica 18 of the Machya Pradesh Act, No. 11 of 1979.

[&]quot;*Omitted by Section 14 and 17 of the Madhya Pradesh Act, No. 31 of 1994

बाराबें-

- 17. बण्डल के मदाधिकारी तथा सेवक.
- 18. सचिव की शक्तिया और कर्तव्य.
- 19. कार्येपालिका समिति.

तीसरा अध्याय-संभागीय मण्डल

- .**20. [* * * * *]
- **21. [* * * *]
- **22 [* * * * *]
- **23. {* * * * *}
- *[23.क. परीक्षको आदि की मण्डल के किसी पारिश्रमिक वाले कार्य के लिये की गई नियुक्ति की समाध्या]

चीया अध्यायं-प्रकीर्ण

- 24. समिदियों का गठन आदि.
- 25. मण्डल द्वारा समितियों को प्रत्यायोजित की गई सक्तियों का प्रयोग जादि.
- 26. रिक्तियों के कारण कार्यवाहिया अविधिवत नहीं होगी.
- 27. नियम बनानं की शक्ति
- 28. विनियम चनाने की मण्डल की शक्तिया
- **29.

पांचवां बद्याय-निरसन ादि

- 30 निरसन तथा व्यावृत्ति.
- 31. अल्लाका सम्बन्धाः
- 32. कांडिनाई दूर करने की शक्ति.

[ै] मध्यप्रदेश मोशिवयन क्रशंक 11 सः 1989 की धारा 11 हारा मन्तः व्यापित की गर्द

⁹⁸ मुख्यप्रदेश थांधिनियम क्रमांक 32 स-(1994 की ग्राए 11 एवं 17 हाए नीप -

MADHYA PRADESH ADHINIYAM

No. 23 of 1965

THE MADEYA PRADESH MADHYAMIK SHIKSHA ADHINIYAM, 1965 L.

[Received the assent of the Governor on the 29th September 1965, assent first published in the Madhya Pradesh Gazette, Extraordinary on the 30th September, 1965.]

An Act to provide for the establishment of a Board to regulate Secondary Education in Madhya Pradesh and other matters ancillary thereto.

Be it eracted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixteenth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I-PRELIMINARY

Short title extent and commencement.

- (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Adhiniyam, 1965.
 - (2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.
- ³[(3) This section shall come into force atonce and sections 2 to 32 shall come into force on such date as the State Government may, by ⁴ notification, appoint].

Definitions.

- 2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-
 - (a) "Board" means the Board of Secondary Education established under section 3;
 - (b) "Bye-law" means a bye-law made under this Act;
- ⁵["(c) "Chairman" means the Chairman of the Board appointed under Section 5";.]
- ⁵["(d) "Executive Committee" means the Executive Committee constituted under Section 19.]
- 5["(e) 'Other Backward Classes' means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F. 85/-XXV-4-84, dated the 26th December, 1984.";]

For Statement of objects and reasons see Bill No. 68 of 1965 published in the "Madhya Pradesh Gazette" Extraordinary, dated
11th September, 1965 (Hindl) pages 3288 to 3303 and the "Madhya Pradesh Gazette" Extraordinary dated 11th September,
1965 (English) Pages 3304 to 3320.

^{2.} Por proceedings in Assembly see Madhya Pradesh Vidhan Sabha Proceedings dated 12-9-1965.

^{3.} Substituted by section 2 of Madigra Pradesh Act (No. 3 of 1956).

Section 2 to 32 have been brought inso force on the 10th day of November 1965 by Education Department Notification No. 12088-XX-2-65, dated the 10th November, 1965.

^{5.} Substituted by Section 2 (I) and (II) of Madhya Pradesh Act (No. 31 of 1994).

मध्यप्रवेश विश्विमम

मिनान ३६ सर् १९६५

मध्यप्रवेश साध्यमिक शिक्षा विधिनियम, 1965 13

[दिनांक 29 सितम्बर, 1965 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राज्यण" (बसाधारण) में, दिनांक 30 सितम्बर 1965 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

नव्यप्रदेश में माझ्यशिक शिक्षा का विनिधनन करने के सिथे मध्यस की स्थापना तथा उसके बहुत्यक सन्य विक्यों के लिये उपवन्त करने के हुतु मिस्रिनियन.

भारत के गणराज्य के सोलहवें वर्ष में मध्यप्रवेश विश्वान मण्डल हारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय :--

पहुना जब्याय-प्रारंभिक

1. (1) यह अधिनियम मध्यप्रवेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 कहसायेगा.

श्रीकृष्य गाम, निमसार समा प्राराज्य.

- (2) इसका विस्तार-क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा.
- ³[(3) यह घारा तत्काल प्रवृत्त होगी तथा क्षारा 2 से 32 तक क्षारायें ऐसे दिनाक को प्रवृत्त होगी जिसे खज्य भासन, ⁴जिक्क्षणूना हारा नियत करें]
- 2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या प्रसंग में विरुद्ध न हो-

मरिक्सवार्

- (क) "मंडल" से तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित माध्यमिक शिक्षा मण्डल से है :
- (स) "उपविधि" से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधि से है;
- ⁵[(ग) "स भापति" से अविप्रेत है बारा 5 के बडीन नियुक्त किए गए मण्डल के सभापति.]
- ⁵[(च) 'कार्यपालिका समिति' से अभिप्रेत है धारा 19 के अधीन गठित की गई कार्यपालिका समिति|
- 5 (क) "अन्य पिछाड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ. 85/पञ्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये नागरिकों के अन्य पिछाड़े वर्ग.]

उद्देश्यो एथ कार्शों के विश्वहन के लिए विश्वेयक क्रमांक 68 कर् 1965 देखिए जो मब्बाप्रदेश राज्यम बसासारण, दिनांका11 विश्वस्यर, 1965 में गुष्क 5288 से 3503 तक (दिन्दी के) और मब्बाप्रदेश राज्यम समासारण में दिनांक 11 विश्वस्यर 1965 में गुष्क 3306 से 5320 तक (बसेजी में) प्रकाशिय हुआ हैं.

निवान क्षत्रा के कार्य क्रिक्टन के जिए नकाइदेश विद्यान क्षत्रा कार्य विवरत दिनांक 12-9-1965 देखिए.

नव्यप्रदेश अधिनियम प्रामीक 3 चन् 1966 मी बाद्य 2 बाद्य नवासित मी गई.

×

वायरें 2 से 32 तक किया विचान की अधिकुषना क्रमांक 12088-मीच-बी-65, विवाक 10-1-1965 हाए 10 नवस्थर, 1965 के प्रमुख हुई.

नकाइनेस व्यक्षिणियम प्राथांक 31, जार 1994 की बारा 2 (f), (II) हाथ प्रतिस्वापित की गई.

- (f) "Institution" means an institution imparting Secondary Education or an institution not admitted to the privileges of any University established by law and imparting training to the teachers for a certificate or a diploma course as the case may be, and includes a part of an institution;
- If(g) "Local bodies' means a Municipal Corporation constituted under the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), a Municipal Council or a Nagar Panchayat constituted under the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), or a Gram Panchayat, Janpad Panchayat or Zila Panchayat, constituted under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) as the case may be";
- (h) "Managing Committee" means the managing committee constituted by the foundation society or the governing body, as the case may be, of a recognised institution;
- (i) "Middle School Education" means such education as the State Government may, by notification, define from time to time;
- (j) "recognised" with its grammatical variations used with reference to schools means recognised by the Board for the purpose of admission to the privileges of the Board;
- (k) "regulation" means a regulation made by the Board under this Act;
- ¹[(1) "Secondary Education" means the education which follows immediately the stage of Middle School Education and precedes immediately the stage of education controlled by the Universities established by Law in India.";}
- *I(m) "Scheduled Caste" means a member of any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;
- (n) "Scheduled Tribe" means a member of any tribe, tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such with respect to the State of Madhya Pradesh, under article 342 of the Constitution of India.]

^{1.} Substituted by Section 2 (iii), (iii) of the Mathya Pradesh Act, No. 31 of 1994.

^{2.} Inserted by Section: of Madhys Hade-1 Art No. 11 of 1979.

- (क) "सल्या" से सात्पर्व ऐसी संस्था से हैं जो माध्यमिक शिक्षा प्रदान करती हो या ऐसी संस्था से हैं जो बिद्धि हारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार न मिले हो और जो अध्यापकों को यथास्थिति प्रमाण-पत्र या उपाधि पत्र संबंधी पाद्यक्रम का प्रशिक्षण प्रवान करती हो और उसमें संस्था का भाग सम्मिलित है;
- "स्थानीव निकायों" से अभिप्रत है, यथास्थिति, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अद्यिनियम 1956 (क्षमांक 23 सन् 1956) के अधीन गठित कोई नगरपालिका निगम, मध्यप्रदेश नगरपालिका अद्यिनियम, 1961 (क्षमांक 37 सन् 1961) के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् या कोई नगर पंचायत, या मध्यप्रदेश पंचायत राज अद्यिनियम, 1993 (क्षमांक 1 सन् 1994) के अधीन गठित कोई ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत.
- (ज) "प्रबंध-समिति" है तात्पर्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था की यथास्थिति प्रतिष्ठान संस्था (फाउन्हेंचन सोमायटी) या शासी-निकाय द्वारा गठित प्रवन्ध समिति से है;
- (स) "मिडिल स्कूल किसा" के तात्पर्य ऐसी किसा से हैं, जिसे राज्य शासन, अधिसूचना हारा, समय-कमय पर परिभाषित करें,
- (व) "शालाओं के सन्दर्श में प्रमुक्त मान्यता-प्राप्त" से तात्पर्य, उसके व्याकरण सबधी परिवर्तनों सिहत, मंडल के विशेषाधिकार देने के प्रयोजन के लिये मण्डल द्वारा मान्यता-प्राप्त से हैं:
- (c) "विनियम" हे तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन महल द्वारा बनाये गये विनियम से हैं:
- 1(a) "माध्यमिक किसा" से अभिप्रेत है ऐसी किसा जो मिडिल स्कूल किसा के प्रक्रम के ठीक पश्चात् आती हो और भारत में विधि हारा स्थापित विकासिकालयों हारा नियंत्रित किसा के प्रक्रम के ठीक पूर्व तक चलती हो.]
- ²(क) "अनुसूचित जादि" से तात्पर्य किसी जाति, मूलवंश या जनजाति अधवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भीतर के समूह के, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्धिष्ट किया गया हो, सदस्य से हैं.
- (ह) "अनुसूचित जनकाति" से तात्पर्य किसी जनजाति, जनजाति सभुदाय अथवा किसी जनजादि या जनजाति समुदाय के भाग या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भीतर के समूह के जो कि भारत के संविधान के अनुच्छंद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के शबंध में उस रूप में विनिदिष्ट किया गया हो, सदस्य से हैं.

1.

मध्यप्रदेश निविश्यम क्रमान 31 प्रम् 1994 की बारा 2 (शीन) व (बार) द्वारा प्रतिस्थापिन.

^{2.} नध्यप्रदेश विविषयम् अध्याम 11 वन् 1979 की बारा 2 डारा जनतःस्थापित की गर्ड.

- (i) three Principals/Head Masters of Institutions recognised by the Board of whom one shall be a woman;
- (ii) one Principal of Teachers Training Institutions or Training Colleges;
- (iii) six Teachers of Institutions recognised by the Board of whom at least one shall be a woman:
- (iv) three persons representing management including local bodies which run institution, recognised by the Board;
- (v) five members of the Madhya Pradesh Legislative Assembly;
- (vi) two persons representing interest not represented otherwise :

Provided that out of twenty members nominated under clause (k) at least two members each shall be from Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(2) the Name of every members shall be notified in the Madhya Pradesh Gazette.".1

Appointment of Chairman and term of office and conditions of his service. (1) The Chairman shall be such person as may be appointed by the State Government, by notification, in this behalf.

(2) The term of office and other conditions of service of the Chairman shall be such as may be presembed by rules.

Term of office and filting of casual vacancy ect.

6,1(1)	*		*	120	-
1[(2)	*	*	*		*1
1[(3)	•				+]

¹[(4) The term of office of the nominated members shall be three years from the date of the notification regarding nomination under sub-section (2) of Section 4:

Provided that the term of members nominated under sub-clause (v) of clause (k) shall coterminus with the Legislative Assembly.";]

1(5)

(6) If the State Government considers that the continuance in office of any nominated member is not in the public interest, the State Government may make an order terminating his nomination and thereupon he shall cease to be a member of the Board notwithstanding that the term for which he was nominated has not expired

^{1.} Ossitued by Societ 4 of the Madhys Prace... Act No. 31 of 1994.

^{2.} Substituted by Sestion 4 of the Madhya Product Act No. 31 of 1994

- (एक) सण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के तीन प्राचार्य/प्रधान जव्यापक जिनमें से एक महिला होगी,
- (दो) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं या प्रशिक्षण महाविद्यालयों का एक प्रान्तर्य.
- (तीन) मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छः अध्यापक जिनमें से कम से कम एक महिला होगी;
- (बार) स्थानीय निकायों को सम्मिलित करते हुए प्रबन्ध का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन ऐसे व्यक्ति जो मण्डल हारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं चलाते हो.
- (पांच) मध्यप्रदेश विद्यान सभा के पांच सदस्य:
- (छह) ऐसे हित का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति जिनका अन्यथा प्रतिनिधित्व न
- परन्तु खण्ड (ट) के अधीन नामनिर्दिष्ट वीस सदस्यों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातिया और अन्य पिछाहे वर्गों में से प्रत्येक के कम से कम दी सदस्य होंगे.
- (2) प्रत्येक सदस्य का नाम मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा.]
- (1) सभापति ऐसा व्यक्ति होया जो राज्य शासन दारा, इस संबंध में अधिसूचना द्वारा, स्वातंत्र को निवृत्तिः नियुक्त किया जाय.

कता संसकी परावधि च्यं येजा सर्वे.

(2) सभापति की पदावधि तथा जन्य सेवा शर्त ऐसी होंगी जो कि नियमों हारा बिहित की जाय

6.1(1) 1(2) 1(3)

पवाचारि एवं आध्योगन रिषय स्थामी की पूर्वि

 2 [(4) नामनिर्दिष्ट सदस्यां की पदावधि, धारा 4 की उपधार (2) के अधीन नामनिर्देशन संबंधी अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की हांगी.

परन्तु खण्ड (ट) के उपखण्ड (पांच) के अधीन नामनिटिंग्ट नदस्यों की पदावधि विधान सभा के साथ-साथ समाप्त हो जाएगी.".

1(5)

(6) यदि राज्य प्राप्तन का यह विचार हो कि किसी नामिंगदेन सदस्य का अपने पर पर बना रहना लोकहित में नहीं है हो राज्य शासन उसका नाम निर्देशन समाप्त करने वाला आदेश वे सकेगा और तदुपरान्त वह इप बात के होते हुए भी कि वह अवधि जिसके लिये नामनिर्विष्ट किया गया था, समाप्त नहीं हुई है, भण्डल का सदस्य नहीं रहेगा.

मध्यप्रदेश अधिनिषम क्रमांक 31 तन् 1994 की धारा 4 (ज़ार) हारा कोप

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमाक 11 सन् 1994 की धारा 4 (चार) द्वारा प्रतिकारित.

- ¹["(7) Any nominated member of the Board may resign his office by a letter addressed to the State Government and the same shall be notified in the official Gazette.""]
- "["(8) In the event of a casual vacancy occurring by reason of death, resignation or termination of nomination of a member or for any other reason, such vacancy shall be filled by nomination, and any person nominated to fill such vacancy shall hold office for the term for which it was tenable by the person in whose place he has been so nominated and no longer.";]
- (9) An outgoing member shall, if otherwise qualified, be eligible for re-election or re-nomination.
- '["(10) Where any nominated member absents himself, without prior permission of the Chairman from three consecutive meetings of the Board, he shall be deemed to have resigned from his office.".]

Oworum

²[7. The quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of members.]

Powers of Board.

- 8. The Board shall have the following powers, namely :-
 - (a) to prescribe courses of instruction in such branches of Secondary Education as it may think fit;
- '[(aa) to make regulations for imposing penalties on candidates using unfair means in the examinations conducted by the Board;]
 - (b) to conduct examinations based on such courses and take all steps ancillary thereto;
 - (c) to admit to its examinations, on conditions that may be prescribed, candidates who have pursued the prescribed courses of instruction—
 - (i) in institutions recognised by the Board; or
 - (ii) privately;

410

*]

(d) to publish the results of its examinations;

^{1.} Shustituted by Section 4 of the Madhya Pradesh Act, No. 31 of 1994.

Substituted by Section 5 of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979.

Substituted by Section 6 (i) of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979.
 Profitor emitted by section 6 (ii) of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979.

1["(7) अण्डल का कोई भी नामनिर्दिष्ट सदस्य राज्य ज्ञासन को संबोधित किये गए पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और उसे (पदत्याग को) राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा.".

1[7(8) किसी सदस्य की मृत्यू, पदत्याग् या नामनिर्देश्वन की समाप्ति के कारण से या किसी अन्य कारण से होने वाली आकस्मिक रिक्ति की दक्षा में ऐसी रिक्ति नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी, तथा ऐसी रिक्ति के भरे जाने के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति उत्तनी अवधि तक उस पद पर रहेगा, जितनी अवधि तक कि वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया है, उस पद पर रहता और उससे अधिक नहीं.";

(9) बहिर्यामी सदस्य, यदि वह अन्यशा अर्ह हो, पुनर्निर्वाचन या पुनः नाम निर्वेशन के लिये पात्र होगा.

1["(10) जहां कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य सभाषति की पूर्व अनुजा के बिना मण्डल के तीन सम्भिननों में नगातार स्वय अनुपस्थित रहता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद त्याग दिया है.]

²[7. मंडल के किसी सम्मिलन के लिये गणपूर्ति सदस्यों की कुल सख्या के एक विहाई से क्लूब.

सडल को निम्नलिखित सक्तियां प्राप्त होंगी, अधित्,—

जातर भी सविकार

- (क) माध्यमिक शिक्षा की ऐसी शालाओं में, जिन्हें वह उचित समझे, शिक्षण पाठ्यक्रम बिहित करना;
- ³[(कक) मंडल द्वारा सचालित की गई परीक्षाओं में अनुचित साधन उपयोग में लाने वाले या परीक्षाओं में हस्तक्षेप करने वाले अभ्यर्थियों पर शास्तियां, अधिरोपित करने के लिये विनियम बनाना,]
 - (ख) ऐसे पाद्यक्रमों पर आधारित पद्मीकाओं का संचालन करना और उसके सहायक समस्त उपाय करना.
 - (ग) ऐसी अभ्यर्थियों को जिन्होने-
 - (एक) मंडल हारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में ; या
 - (दो) प्रायवेट तौर पर ;

शिक्षण के विहित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, ऐसी शर्तों पर, जैसी कि विहित की जाय परीक्षाओं में प्रवेश देना

41=

*

(घ) अपनी परिक्षाओं के परीक्षा फल प्रकाशित करना.

[.] मध्यप्रवेश अधिनियम क्रमान 31 सन् 1994 की छारा 🛊 (चार) ढारा प्रतिस्थापित.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमाक 11 सन् 1979 की बारा 5 हारा स्थापित की सई.

मध्यप्रदेश विधिनियम झमांक 11 जन 1979 की बादा 6 (एक) ब्राह्म अन्तः स्थापित की गई.

मध्यप्रदेश अधिनिधन क्रमांक 11 मन् 1979 की बास 6 (वाँ) द्वारा परन्तुको का सीप किया गया.

- (e) to grant diplomas or certificates to persons who have passed the examinations of the Board;
- (f) to recognise institutions situated in Madhya Pradesh for the purposes of admitting them to the privileges of the Board.
- (ff) to prescribe conditions for recognition of schools or institutions including conditions of service of teachers, their qualifications, equipment, building and other educational facilities;
- (fff) to withdraw recognition from the institution, where the Board is satisfied after enquiry that its privileges are abused by it or that the conditions imposed by the Board for the recognition of such institution are not complied with:
- Provided that de-recognition shall not ordinarily be made effective in the midst of an academic session:
- Provided further that if any de-recognition is made effective in the midst of an academic session, the students of the school so de-recognised who would have been admitted in the Board's Examinations shall be allowed to appear privately.]
- (g) to call for reports from the ²[Commissioner of Public Instruction] on the condition of recognised institution or of institutions applying for recognition or to direct inspection of such institutions;
- (h) to adopt measures to promote physical, moral and social welfare of students in recognised institutions and to prescribe conditions of their residence and discipline;
- to organise and provide lectures, demonstrations, educational exhibitions and to take such other measures as are necessary to promote the standard of secondary education;
- (j) to institute and award scholarships, medals and prizes under conditions that may be prescribed;
- (k) to demand and receive such fees as may be prescribed including fees for registration of teachers and Managing Committees applying for registration as such;
- I"(I) to admit to its examination candidates who have pursued correspondence course conducted by the Board.

^{1.} Inserted by Sections 6 (in) of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979.

^{2.} For the words "Director Public Instruction substited by Section 5 (i) of the Madhya Pradush Act, No. 31 of 1994.

- (क) महल की परीक्षाएं उत्तींच करने वालें व्यक्तियों को उपाक्षिपत्र या प्रमाण-पत्र प्रदान करना
- (च) मध्यप्रदेश में स्थित संस्थाओं को मंतन के विशेषाधिकार देने के प्रयोजनों के लिये जनको मान्यता प्रदान करना.
- भाताओं या संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की शर्ते, जिनके अन्तर्गत अध्यापकों भी सेवा शर्ते, उनकी अर्हताओं संबंधी शर्ते, उपस्कर भवन, तथा अन्य श्रीसणिक सुविधाओं सबंधी शर्ते भी आती है, विहित करना;
- (चचच) किसी संस्था की मान्यता को उस दक्षा में वापिस लेना जब कि जाच के पश्चात् मंडल का यह समाधान ही जाय कि उसके विश्वधाधिकारों का उस सम्था द्वारा दुष्प्रयोग किया जाता है, या यह कि ऐसी संस्था को मान्यता प्रदान करने के लिये मंडल द्वारा अधिरोपित की गई शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाना है:
- परन्तु अमः थता मामूली तौर से श्रेक्षणिक सन्न के मध्य मे प्रवर्तित नहीं की कायंगी;
- परन्तु यह और भी कि यदि अमान्यता फ्रैसिणिक सत्र के मध्य में प्रवर्तित की जाती है. तो इस प्रकार अमान्य की गई भाला के उन विद्यार्थियों को, जिन्हें कि मडल की परीक्षाओं में प्रवेश दिया गया होता, परीक्षा में प्रायवेट तौर पर बैठने के लिये अनुसात किया जायगा.]
- (छ) मान्यता-प्राप्त संस्थाओं की या मान्यता के लिये आवेदन करने वाली संस्थाओं की त्या में के संबंध में ²[आयुक्त लोक जिल्ला] से रिपोर्ट तलब करना यां ऐसी संस्थाओं के निरीक्षण का निरोध देना:
- (ज) मान्यता-प्राप्त संस्थाओं के जिद्यार्थियों के शारीरिक, नैतिक तथा सामाजिक कल्याण में अभिवृद्धि करने के लिये उपाय ग्रहण करना और उनके निवास तथा अनुशासन की शर्ते विक्रित करना
- (स) व्याख्यानी, प्रदर्शनी शैक्षणिक प्रदर्शनियों का आयोजन करना और उनकी व्यवस्था करना तथा ऐसे अन्य उपाय करना जोकि माध्यमिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिये आवश्यक हो.
- (अ) ऐसी शर्तों के अधीन, जो कि विहित की जाए, छात्रवृत्तियां, पदक तथा पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;
- (ट) ऐसी फीस की मांग करना, और प्राप्त करना, जोकि विह्नित की जाये, जिसमें रिजस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करने वाले क्षिसकों तथा प्रबंध समितियों की रिजस्ट्रीकरण फीस भी सम्मिलित है;
- ³["(ठ) अपनी परीक्षाओं में उन अभ्यर्थियों को प्रवेश देना जिन्होंने मण्डल द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रमों का परिशीलन किया है.".

[।] वध्यप्रदेश अधिनियम अवांक 11 मन् 1979 की द्वारा 6 (तीन) हारा जन्संक्यापित

[🍃] मध्य नवा अधिनियम क्रमांक 31 वन् 1994 की शारा 5 (एक) हारा क्रम क्षत्रासन लोक शिक्षण के व्यापन पर व्यापिक किया गया.

मध्यप्रदेश मिविनियम हम्माक 31 सम् 1994 की शास 5 (दी) हारा प्रतिक्याति

 (m) to advise the State Government as to the courses of instruction and syllabi of Middle School Education with a view to secure coordination between Middle School and Secondary Education;

1/(8)

(3) 3

होई

कसी दे

उसका

किसी व

ऐसी

- ¹[(mm) (i) to organise conference, seminars, symposiums to promote the standard of Secondary Education;
 - (ii) to organise workshops and training programmes for paper setters;
 - (iii) to take necessary steps with regard to modernising of school curriculum, strengthening of science and mathematics education, work experience and vocationalisation by making investigation and researches into the latest evaluation processes or other experiments:
 - (iv) to take all necessary steps to make examinations more valid, rehable, comprehensive and elaborate;
 - (v) to arrange for comprehensive evaluation of students through cumulative records and internal assessment records.)
 - (n) to do all other things ancillary to any of the purposes specified above or for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

salification ing member Board. ³[8-A. A person shall be disqualified for being nominated or for continuing as a member if he, directly or indirectly, by himself or by his partner:—

- (a) has any share or interest in any publication prescribed as a text book of study for use in any institution imparting secondary education, or
- (b) has any share or interest in any work done for or on behalf of the Board.
- Explanation.—For the purpose of this section, the publication of a text book shall include its republication.]

nment.

- 9. (1) The State Government shall have the right to address the Board with reference to anything conducted or done by the Board ³[* *] and to communicate to the Board its views on any matters with which the Board ³[* *] is concerned.
- (2) The Board shall report to the State Government such action, if any, as it proposes to take or has taken upon the communication, and shall furnish an explanation if it fails to take action.

^{1.} Inserted by Session 6 (iv) of the Madhyn Pradesh Act, No. 1 cmf 1979.

Substituted by Methya Pradesh Act, No. 11 of 1979.
 Dmitted by Section 6 of the Methya Fradesh Act, No. 31 of 1894.

- (क) मिबिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा में समन्वय सुनिश्चित करने की वृष्टि से मिबिल स्कूल शिक्षा के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विवरण के संबंध में राज्य शासन की संसाह देना;
- (एक) माध्यमिक शिक्षा के स्तर को बदाने के नियं सम्मेननों, विचार गोष्टियों, परिसंवादों का आयोजन करना;
 - (दो) प्रश्न पत्र बनाने वालों के लिये कर्मशालाओं (वर्कशाप) तथा प्रक्रिक्षण कार्यक्रमीं का आयोजन करना;
 - (तीन) नवीनतम-मूल्यांकन प्रक्रियाओं में अन्वेषण तथा गवेषणाये, करके या अन्य प्रयोग करके शालाओं की पाठ्यचर्या का आधुनिकीकरण करने, विज्ञान तथा गणित की शिक्षा, कार्य अनुभव तथा व्यवसायीकरण को सुदृढ आधार प्रदान करने, के सबध में आवश्यक उपाय करना.
 - (चार) परीक्षाओं को अधिक विधिमान्य, विश्वसनीय, व्यापक तथा विस्तृत बनाने के लिये समस्त आवश्यक उपाय करना,
 - (पाच) आकलित (क्यूमुलेटिव) अभिलेखो तथा आतरिक निर्धारण संबधी अभिलेखों के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यापक मूल्याकन के लिये व्यवस्था करनाः]
 - ऊपर उल्लिखित कियं गये प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन से समनुषक्त या इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये अन्य समस्त कार्य करना;
- है कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाने या सदस्य के रूप में अला था प्राण्य होने के लिये निरिहिंत होगा, यदि वह स्वय या अपने भागीदार द्वारा प्रत्यक्षतः या के किसे विश्वेण
 - किसी ऐसे प्रकाशन में, जो माध्यमिक शिक्षा देने वाली किसी संस्था में उपयोग में लाया जाने के लिये अध्ययन की पाठ्यपुक्तक के रूप में विहित किया गया हो, कोई अभ या हित रखता हो; या
 - किसी ऐसे कार्य में, जो मंडल के लिये या मंडल की ओर से किया गया हो, कोई अभ या हित रखता हो;
 - करण :~दस धारा के प्रयोजन के लिये किसी पाठ्यपुस्तक के प्रकाशन के अन्तर्गत उसका पुनः प्रकाशन भी आयेगा.]
 - ्य भासन को यह अधिकार होगा कि वह मण्डल ³[**] द्वारा संचासित की राज्य णावन भी किसी बाद के सदर्भ में महल को संबोधित करे और किसी भी विषय पर जिससे व्यक्तिया. का संबंध हो, अपने विचार संसुचित करे
 - र ऐसी कार्यवाही की, यदि कोई हो, जैसी कि वह उस समूचना पर करना कर चुका हो, राज्य शासन को रिपोर्ट देगा और यदि वह कार्यवाही न कर पाये

अधिनियम क्रमान्त 11 सन् 1979 कीवारा 6 (बार) द्वारा सनतः स्थापित की गई.

विशिधम प्रमाण सन् 1979 हारा न्यागित.

बांबनियम अमान 31 सन् 1994 की बारा 6 हारा नोष.

- (3) If the Board does not within a reasonable time take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering any explanation furnished or representation made by the Board, issue such directions consistent with this Act as it may think fit, and the Board [**] as the case may be, shall comply with such directions.
- (4) When any emergency in the opinion of the trate Government requires that immediate action should be taken, the State Government may exercise such of the powers of the Board [* *] under this Act, as it deems necessary without previous consultation with the Board [* *] and shall forthwith inform the Board of the action taken
 - (5) The State Government may, by order in writing specifying the reasons thereof, suspend the execution of any resolution or order of the Board [**] and prohibit the done of an act ordered to be or purporting to be ordered to be those by the Board [**] if the State Government is of the opinion that such resolution, order or act is in excess of the power's conferred by or under this Act upon the Board [**]

(6)

Constitution of Board | and

10. A Board Fund shall be formed for the Board, and all some received by or on behalf of the Board under this Act or otherwise shall be piaced to the credit thereof.

Custom and investorat of Bours blad.

13. All moneys at the credit of the Board Funds shall be kept in the Government treasury or at any Bank as the Board may with the approval of the Government determine:

Provided that nothing in this section shall be deemed to preclude the Board from investing such moneys as are not required for immediate expenditure in any of the Government securities.

Approximen of these paid.

12. Subject to the provisions of this Act, the Board Finid dealt be applicable only to the payment of the charges and expenses incidental to the several matters specified in this Act and to any other purpose for which by or under this Act powers are conferred or duties imposed upon the Board 2[* *].

Burgo.

13. (1) The Board shall prepare in such manner as may be prescribed by regulations the budget for the ensuing financial year and forward at to the State Government for its sanction not later than the thirty-first day of January preceding such financial year the State Government may pass such orders with reference thereto as it thinks fit and shall communicate the same to the Board by the 31st day of March preceding such financial year and the Board shall give effect to such orders.

March after the above, the bodger shall be deemed to have been sanctioned by the State inverse a without any modification.

Omitted by Section 6 of the Madhya Protects Act, 3-o. 31 of 1994.

^{2.} Omitted by Section of the Madhya Process: Act, 154 12 of 1994.

- (3) यदि महत्र युक्तियुक्त समय के शीशर राज्य शासन के समाञ्चान योग्य कार्यवाही न करे. तो राज्य शासन, महक द्वारा दिये तमें किसी भी स्पष्टीकरण या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात, इस बोधनियम से शगत ऐसे बिडेश देशा जिन्हें कि वह उचित समझे बीर पंचारियति मंडल 1 =] ऐसे निर्देशों का पासन करेगा.
- (4) यदि राज्य कासन की राय में किसी अपितक स्थिति के कारण आध्र कार्यवाही करना अपेक्षित हो, तो राज्य शासन, महल 1 * 1 से पूर्व परामर्श किये विना इस अधिनियम के अधीन, मंडल 1 [* *] की शक्तियों, में से ऐसी प्रक्ति का प्रयोग कर सकेगा जिसे कि वह उचित समझे और की गई कार्यवाही के संबंध में मंडल को तत्काल इतिका देगा.
 - (5) राज्य शासन, महल ¹[* *] के किसी भी संकल्प या आदेश का निष्पादन, लिखित आदेश ब्रास, तत्संबंधी कारणों का उल्लेख करते हुये, निलंबित कर सकेगा, और ऐसे कार्य के किये जाने का प्रतिवेध कर सकेगा, जिसके कि किये जाने पा सहस्र 1 व व | द्वारा आदेश दिया गया हो या जिसके किये जाने का महल हारा बादेण दिया न । अभिप्रेत हो, यारे राज्य शासन की यह राय हो कि ऐसा संकल्प, आदेश या कार्य इस अ अन्यम द्वारा या असके अधीन महल ! [# #] की प्रदत्त जन्तियों की सीभा के बाहर है.

1(6)

10. महल के लिये एक महल-निधि गृटित की जायेगी, और इस अधिनियम के अधीन या 📾 अन्यथा महल द्वारा या महल की और ने प्राप्त सम्भन धनराशिया, उनके नामे जमा की जायेगी.

11. महल-निधि में जमा संपूर्ण धन शासकाय कोबागार में या किसी बँक में जैसा कि महल, शासन के अनुमोदन से अवधारित करे, रखा जायेर . :

परन्तु इस बारा के किसी बात में यह नहीं समझा जायगा कि वह महल को ऐसे धनों का, अला विकास जी तत्काल व्ययं के नियं अपेक्षित नहीं है, किन्हीं भी शासकीय प्रतिभृतियों ने विनिधान करने से प्रतिबारित करती है.

12 इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, जडल-निवि का उपयोग इस 🛊 अधिनियम में उल्लिखित थिये गये ज्या मामलों के प्रसंग भे हों। वाले प्रभारी तथा व्ययों की देनगी के लिये और ऐसी किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये किया जायमा निस्के लिये कि इस अधिनियम हारी या उसके अधीन महल ![* *] व : शक्तिया प्रदान की गई हो या उस पर कर्ताव्य अधिरौपित किये गये हो.

13. (?) मंडल आगामी वितीय धर्ष के लिये बजट ऐसी किये में ... र करेगा, जो कि विनिथमों हारा विहित की जाय और उसे राज्य जामन को और उसकी मज़रें के लिये ऐसे विनांक को अग्रेषित सरेगा ने ऐसे विलीय वर्ष के पूर्ण इकतीस जनगर के पश्चान का न हो. राज्य शासन उसके संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकता, जिन्हें कि उड़ उचित असे और महल को ऐसे वित्तीय ज्यं के पूर्वभन 31 मार्च, तक उसके समुद्रना हैगा और महल ऐसे आदेशों को प्रभावी दनायेगा

परन्तु यदि म्डल की उपरितिष्टिय 31 गाई शक मंजूरी की समुचना न दी जाय तो ब्लट के संबंध में यह समझी अधिया कि वह बिना किसी रूप भेदन के राज्य सासन द्वारा मंजूर कर निया गया है

मध्यप्रवेश अधिनियन प्रत्योक 31 सन् 1994 की धारा 6 हारां कीच

मध्यप्रवेश मधिनियम क्रमांक 31 तम् 1994 की धारा 7 झ्या कीच .

(2) The Board may, if it considers it necessary so to do, prepare a supplementary budget during any financial year for such year and submit it to the State Government for its sanction not later than the thirty first day of October in the said financial year. The State Government may pass such orders with reference thereto as it thinks fit and shall communicate the same to the Board by the 30th day of November of the said financial year and the Board shall give effect to such orders:

Provided that if no sanction is communicated to the Board by the 30th November, the supplementary budget shall be deemed to have been sanctioned by the State Government without any modification.

Audit of accounts of Hourd

14. The accounts of the Board '[**] shall be audited annually by such agency as may be specified by the State Government and a copy of the audited accounts and balance sheet shall be submitted by the Board to the State Government by such date each year as the State Government may, by rules, specify.

Powers and duties of Chairman.

- 15. (1) It shall be the duty of the Chairman to see that this Act and the regulations are faithfully observed and he shall have all powers necessary for this purpose.
- (2) The Chairman may, whenever he thinks fit, call a meeting after giving a notice of not less than twentyone clear days and shall be bound to do so, within four-teen days of the receipt of a written requisition signed by not less than 'affifteen members' of the Board and stating therein the business to be brought before the meeting.
- (3) In any emergency, arising out of the business of the Board which, in the opinion of the Chairman requires that immediate action should be taken, the Chairman shall take such action as he deems necessary, and shall thereafter report his action to the Board at its next meeting.
- (4) The Chairman shall exercise such other powers as may be vested in him by regulations
- 3/(5) The Chairman may delegate such powers and entrust such duties as are conferred or imposed on him by or under this Act to the Secretary by an order in writing specifying the powers delegated.]

Appointment, powers and duties of Vice-Chairman.

16. (1) The State Government may in consultation with the Chairman appoint any person to be a Vice-Chairman of the Board. अधी

और 1 जाय र

- (2) The term of the office and other conditions of service of the Vice-Chairman shall be such as may be prescribed by rules.
- (3) The Vice-Chairman shall assist the Chairman in all matters administrative or academic and shall exercise such powers and perform such functions of the Chairman as may be delegated or entrusted to him by the Chairman.

^{1.} Omitted by Section 8 of the Madhya Pradesh Act, No. 31 of 1994.

² For the words "twenty members" substituted by Section 9 (i) of the Madbya Pradesh Act, No. 11 of the 1979.

³ Inserted by Section 9 (ii) of the Madhya Prodesh Act, No. 11 of 1979.

(2) भंडल, यदि वह ऐसा करना उचित समझे, किसी भी ।वत्तीय वर्ष के दौरान, ऐसे वर्ष के सिये अनुपूरक वजट तैयार करेगा और उसे राज्य शासन को उसकी मंजूरी के लिये ऐसे दिनाक को प्रस्तुत करेगा जो उक्त विसीय वर्ष के इक्तीस अक्टूबर के पश्चात् का न हो, राज्य सासन उसके सबंध में ऐसे बादेश पारित कर सकेगा जिल्हें कि वह उचित समझे और महल की उक्त वित्तीय वर्ष के तीस नवम्बर तक उसकी ससुचना देगा और मंडल ऐसे बावेशों की प्रभावी बनायेगाः

परन्तु यदि मंडस को तीस नवम्बर तक मंजूरी की संसूचना न दी जाये, तो अनुपूरक बजट के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह विना किसी रूप भेदन के राज्य शासन द्वारी मंजूर कर दिया गया है.

14. मण्डल 1 * | के लेखाओं की लेखा-परीक्षा प्रतिवर्ष ऐसे अभिकरण द्वारा की जायेगी जी अक्स के केवाओं की कि राज्य शासन द्वारा उल्लिखित किया जाये और लेखा-परीक्षित लेखे और सन्तुलन-पन्न (बैलेन्स केब-जीवा भीट) की एक प्रति मंडल द्वारा राज्य भासन को प्रति वर्ष ऐसे दिनाक तक प्रस्तुत की जायेगी जिसे कि राज्य शासन नियमो द्वारा उल्लिखित करे

15. (1) सभापति का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि इस अधिनियम का और उपलक्षि की अविश्वा विनियमों का पालन निष्ठापूर्वक किया जा रहा है और उसे इस प्रयोजन के लिये जावश्यक समस्त 🗪 🕬 शक्तिया प्राप्त होगी.

- (2) सभापति, जब कभी वह उचित समझे, कम से कम पूरे 21 दिन की सूचना देने के पण्यात् सम्मिलन बुला सकेगा और ऐसी लिखित अधियाचना के, जो कि मण्डल के कम से कम 2[पद्रह सदस्यों] द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा जिसमें सम्मिलन के समक्ष लाये जाने वाले कामकाज का उल्लेख हो, प्राप्त होने के चौदह दिन के भीतर, ऐसा करने के लिये बाध्य होगा.
- (3) महल के कामकरज से उत्पत्न होने वाली किसी आपत्तिक स्थिति में, जो कि सभापित की राय में यह अपेक्षा करती हो कि तत्काल कार्यवाही की जाये, सभापति ऐसी कार्यवाही करेगा जिसे कि वह आवश्यक समक्षे और तत्पश्चात् मंडल को उसके आगामी सम्मिलन में, अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट देगा.
- (4) सभापति ऐसी अन्य प्रक्लियों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा उसमें निहित की जाय.
- 3 (5) सभापति एक लिखित आदेश द्वारा, जिसमें कि प्रत्यायोजित की गई शक्तिया उल्लिखित की गई हों, सचिव को ऐसी प्रक्तियां जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सभापति को प्रदत्त की गई हो. प्रत्यायोजित कर सकेगा तथा ऐसे कर्लव्य, जो कि इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन सभापति पर अधिरोपित किये गये हो, सीप संकेगा.]
- 16. (1) राज्य शासन सभापति के परामर्श से किसी भी व्यक्ति को महल का उपसभापति नियुक्त कर सकेगा.

जयस मान्छि विद्वरिय, प्रश्नवी स्रविचयां और प्रशंध

- (2) उपसभापति की पदावधि तथा अन्य सेवा-शर्ते ऐसी होंगी जो कि नियमों हारा विहित की जायं.
- (3) उपसभापति समस्त प्रशासनिक अथवा शैक्षांणक मामलों में सभापति की सहायता करेगा और सभापति की ऐसी प्रक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि सभापति द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाय तथा सभापति के ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो कि सभापति द्वारा उसे सौंपे जायं.

by

000

uing

at any

airman

ative or hairman

महमप्रदेश अधिनिधम कथाक 31 सन् 1994 की बारा 8 (बाठ) द्वारा लोग.

कृष्ट "बीच" कवन्यी" के क्यान पर नक्यवदेश अधिनियन झवाक 11 सन्, 1979 की शारा 9 (एक) द्वारा क्यपित किये गए.

³ मध्यप्रवेश व्यक्तिनवम क्रमांक 11 अन् 1979 की दारा 9 (दी) हारा बन्तः व्यापित की गई.

Officers and servnate of Board.

- 17. (1) There shall be a Secretary and such number of Deputy Secretaries to the Board as the State Government may consider necessary.
- (2) Appointment of the Secretary and the Deputy Secretaries shall rest with the State Government.
- '[(3) The Board may, subject to the provisions of sub-section (5), appoint such officers including Assistant Secretaries and servants as it considers necessary for the efficient performance of its functions.]
- (4) The qualifications, the conditions of appointment and service and the scales of pay of officers and servants of the Board shall—
 - (a) as respects the Secretary, and the Deputy Secretaries be such as may be specified by rules made by the State Government; and
 - (b) as respects Assistant Secretaries, other officers and servants as may be determined by regulations made under this Act;
- ²["(5) The Board shall not create a post save with the prior approval of the State Government".]

Powers and duties of Secretary.

- 18. (1) The Secretary shall be the principal administrative officer and shall, subject to the control of the Chairman, perform such duties as may be assigned to him by the Board.
- (2) The Secretary shall be responsible for seeing that all moneys are expended on the purposes for which they are granted or allotted.
 - (3) The Secretary shall be responsible for keeping the minutes of the Board.
- (4) The Secretary shall be entirled to be present and to speak at any meeting of the Board and the Executive Committee but shall not be entitled to vote thereat.
- (5) The Secretary shall exercise such other powers as may be laid down in regulations.

Executive Committee.

- ³["19. (1) There shall be constituted an Executive Committee consisting of the members of the Board as follows:—
 - (a) Thr Chairman;
 - (b) The Commissioner, Public Instruction;
 - (c) Tue Commission Tribal Development:
 - (d) Member representing the Finance Department;

^{1.} Substituted by Section 10 (5) of the Maditya Pradesh Act, No. 11 of 1979.

^{2.} Substituted by Section 9 of the Madiya Pradesh Act, No. 31 of 1994.

^{3.} Substituted by Section 10 of the Madhya Pradesh Act, No. 31 of 1994

- 17. (1) मंडल का एक सचिव होगा, तथा उतने उप-सचिव होंगे जितने कि राज्य स्रोसन कव्य के कार्यकार आवश्यक समझे.
 - (2) सचिव तथा उपसचिवों की नियुक्ति राज्य शासन पर निर्भर होगी.
- 1 (3) मडल, उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे पदाधिकारियों को, जिनके अंतर्गत सहायक सिक्व तथा सेवक आते हैं, नियुक्त कर सकेगा जिन्हें कि वह अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिये आवश्यक समुद्धों.
- (4) मंडल के पदाधिकारियों तथा सेवकों की अर्हताएं, नियुक्ति और सेवा की कार्ते तथा वेतनमान—
 - (क) मचिव तथा उपसचिवों के संबंध में ऐसे होंगे, जैसे कि राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा उल्लिखित किय जायें; और
 - (ख) सहायक सचिवों, अन्य पराधिकारियों तथा सेवकों के संबंध में ऐसे होंगे जैसे कि इस अधिनियम के अधीन बनादे गये विनियमों हारा अवधारित किये जाय.
 - 2["(5) मण्डल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय कोई पद सृजित नहीं करेगा;" |
- 18. (1) सचिव, प्रधान प्रशासकीय पदाधिकारी होगा और सभापति के नियंत्रण के अधीन क्षेत्र की क्षेत्रका रहते हुये, ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जैसे कि उसे मंडल हारा सौपे जायं.
- (2) सचिव, इस बात को देखने के लिये उत्तरदायी हागा कि सपूर्ण छन उन्हीं प्रयोजनों पर व्यय किया जाता है जिनके लिये वह मजूर किया गया है या बंटित किया गया है.
 - (3) सचिव, मंडल का कार्यवृत्त रखने के लिए उत्तरदायी होया.
- (4) सचिव, मडल तथा कार्यपालिका समिति के किसी भी सम्मितिन में उपस्थित रहने का और बोलने का हकदार होगा किन्तु उसमें मट देने का हकदार नहीं होगा.
 - (S) सचिव ऐसी बन्य शक्तियों को प्रयोग में लायेगा जो वितियमों में निर्धारित की गई हों.
- ³[*19. (1) मण्डल में सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक कार्यपालिका समिति निम्नलिखित कार्यक्रिका स्थिक रूप में गठित की आएगी:-
 - (क) सभापतिः

of

in

- (स) वायुक्त, लोक क्रिक्षण;
- (ग) आयुक्त, पादिम जाति विकास,
- (घ) वित्त विशाय का प्रतिनिश्चित्व करने वाला एक सदस्य;

25

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1979 की बारा ३० (एक) द्वारा स्वापित की गई.

मध्यप्रदेश मधिनियम क्रमांक 31 सन् 1994 की बारा 9 इारा स्थापित.

^{3.} मध्यप्रदेश मधिनियम क्रमांक 31 सन् 1994 की द्वारा 10 (दश) द्वारा नई बारा का स्थापन.

- (e) Member representing School Education Department.
- (f) Five members to be nominated by the Board from amongst the members nominated under sub clauses (i) to (vi) of clause (k) of sub-section (1) of Section 4 whom two shall be from amongst members nominated under clause (v).

at bed

20

17.50

पारि

चपेर

जातं

व्यवि

निया

- (2) The Chairman and Secretary of the Board shall act as Chairman and Secretary of the Executive Committee.
 - (3) The Executive Committee shall meet at least once in three months :

Provided that the Chairman may call the meeting at any time if he deems necessary.

- (4) Five members shall form the quorum for the meeting of the Executive Committee.
- (5) Subject to the general control, direction and superintendence of the Board, the Executive Committee shall be competent to deal with any matter within the competence of the Board.".]

CHAPTER III-DIVISIONAL BOARD

Divisional Buard.

ALC: NO

20.	14=	*	. *	*1
21.	1/4			*]
22.	ıl.			*1
23.	1=		The state of	* *1

Termination of appointment of appointment of axuminers, etc., for any remunerative work of the Board.

*123-A. (1) If at any time it appears to the Board that the person appointed for any remunerative work of the Board, has been guilty of any misconduct or negligence which renders the appointment for a particular work inexpedient the Board may make an order terminating his appointment and directing that such person shall not be eligible for appointment for the particular work at any time or for any specific period. Before making such order, the Board shall observe such procedure as may be prescribed.

(2) The name of the person against whom an order has been made under subsection (1) shall not be included in the penals of names of such period as may be specified in such order.]

^{1.} Omitted by Section 11 of the Madhya Pradesh Act, No. 31 of 1994.

^{2.} Inserted by Section 11 of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979.

- (ह) स्कूल शिक्षा विभाग का प्रतिनिष्ठित्व करने वाला एक सदस्य;
- (च) धारा 4 की उपधारा (1) के सब्द (ट) के उपसम्ब (एक) से (खहु) के अधीन नामनिर्देश्ट सदस्यों में से मण्डल द्वारा नामनिर्देश्ट किये जाने वाले पांच सदस्य, जिनमें से (दो) उपसम्ब (पांच) के अधीन नामनिर्दिश्ट सदस्यों में से होगा.
- (2) मण्डल र समापति तथा सचिव, कार्यपालिका समिति के क्रमण्ञः समापति तथा सचिव के रूप में कार्य करेंगे.
 - (3) कार्यपालिका समिति तीन मास में कम से कम एक बार तम्मिसन करेगी:

परन्तु सभापति यदि आवश्यक समझे तो किसी भी समय सम्मिलन बुला सकेगा.

- (4) कार्यपालिका समिति के सम्मिलन की गणपूर्ति पाच सदस्यों से होगी.
- (5) कार्यपालिका समिति, मण्डल के सामान्य नियंत्रण निदेश और अधिक्षण के अधीन, मण्डल सदानता के भीतर किसी भी मामले में कार्यवाही करने के लिए सदाम होगी.]

तीसरा बच्चाय-संबायीय मण्डल

20.)[*			*1	प्रथमित भगाग,
21.	1[0	*		~]	
22.	11=	*		** }	
23.	1[*			*1	

23-क. (1) यदि किसी भी समय मण्डल को यह प्रतीत हो कि मंडल के किसी पारिश्रमिक वाले कार्य के लिये नियुक्त किया गया व्यक्ति किसी ऐसे जवचार या किसी ऐसी उपेशा का दोषी रहा है कि जिससे किसी विशिष्ट कार्य के लिये वह नियुक्ति असमीचीन हो जाती है, तो मंडल उसकी नियुक्ति को समाप्त करते हुए तथा यह निर्दिष्ट करते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी समय उस विशिष्ट कार्य के लिये या किसी उल्लिखित कालावधि तक के लिये नियुक्त किये जाने हेतु पात्र नहीं होगा, एक जादेश कर सकेगा. ऐसा जादेश करने के पूर्व, मंडल, ऐसी प्रक्रिया का जनुपालन करेगा जैसा कि विहित की जाय.

चरिएको साथि माल के तिको चारितानिक कार्र कार्य के तिको की को तिकृतिक की कमानित

(2) उस व्यक्ति का जिसके कि विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन आदेश किया गया हो नाम, नामों के पेनल में ऐसी कालावधि तक के लिये सम्मिलित नहीं किया जायगा जो कि ऐसे आदेश में उन्लिखित हो.

d for

gence

make

eligi-

e pre-

may be

[.] मध्यप्रवेश मधिवियम क्रमांक 31 शत् 1994 की शादा 11 हादा सीव किया गया.

नक्सप्रदेश अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1979 की बाए 11 प्राप्त अन्तः क्यापित की गई.

CHAPTER IV-MISCELLANEOUS

Constitution of Committees etc.

124. "(1) The Board may from amongst its members and officers and other persons constitute such committees as may be prescribed by Regulation, to aid and advise the Board and the Executive Committee in discharge of their functions and in particular may constitute the following committees:—

समिरि

\$0 E199

की गई :

रामितियो ।

प्रयोग से

गटित की ३

ययं समझे

के सम्बन्ध उ

आवश्यक ही

के लिए अशा

2

3

用取物

पष्ट्यप्र

ma n

nà

मध्यक्ष

मध्य-प्रश्

- (1) Curriculam Committee:
- (2) Committees of Courses;
- (3) Examination Committee;
- (4) Finance Committee;
- (5) Recognition Committee.":
- '["(2) Every such committee shall consist of such members of the Board and of such other persons as may be prescribed by the regulations ".]

2[(3) * * * * *

(4) Members of such Committees ³[* * * *] shall hold office during such time as the Board which appointed them specifies from time to time;

Provided that if the term of the Board appointing such Committees expires before the term so specified the Committees shall hold office till new Committees are appointed by the Successor Board

*(S) * * * *

Exercise of powers delegated by Boardso Committees, etc. 25. All matters relating to the exercise by the Board of powers conferred upon it by this Act which have, by regulations been delegated by the Board of ** 1 to any of * 1 Committee constituted under section 24 shall stand referred to that Committee, and the Board before exercising any such powers shall receive and consider the report of the Committee with respect to the matter in question.

Provided that where in the opinion of the Board immediate action is necessary with respect to any such matter, it may proceed to deal with it without the report of the town intee in respect thereof and pass such orders thereon as it considers necessary.

¹ Sub--- in y Security 12 of the Misthya Presteth Act, No. 31 of 1244

^{2.} On the Pry Section 14 to 6. Mushya Pradesh Act, No. 11 of 1979.

With a spetition no-repetation inherit section 42 (in and the Markova, fradesh Act, No. 11 of 1779)

[&]quot; 45y Section 12 (to) of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979

ires Try Section 13 of the Madhya Pr. sh Act, No. 31 of 1994.

चीचा बच्चाय-प्रकीर्ण

1/24 (1) मण्डल, अपने सदस्यों, और अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों में से ऐसी समिति क्षिकेश का प्र गठित कर सकेगा जैसी कि मण्डल को सहायता और सलाह देने के लिए विनियमों द्वारा विहित आहे. की जाए और कार्यपालिक समिति उसके कृत्यों के निव्यादन में और विश्विष्टितया निम्नलिखित समितियां गठित कर सकेवा :-

- (1) पाठ्यचर्या समितिः
- (2) पाठ्यक्रम समितिः
- (3) परीक्षा समिति;
- (4) वित्त समिति;

d of

ne as

efore

e ap-

pon it

to any

report

cessary of the

sry.

(5) मान्यता समिति ":

1("(2) प्रत्येक ऐसी समिति में मण्डल के ऐसे सदस्य होंगे तथा ऐसे अन्य सदस्य होंगे जी विनियमों द्वारा विवित किए जाएं.".

2f(3)

(4) भ * * ऐसी समितियों के सदस्य, ऐसे समय के लिये पद धारण करेंगे, जिसे कि महल, जिसने उन्हें नियुक्त किया है. समय-समय पर उल्लिखित करे :

परन्तु यदि ऐसी समितियों को नियुक्त करने वाले मण्डल की अवधि इस प्रकार उल्लिखित की गई अवधि के पूर्व ही सभाप्त हो जाये तो समितियां, उत्तराधिकारी मण्डल द्वारा नयी रामितियों की नियुक्ति की जाने तक पद धारण किये रहेगी.

4((5)

25. मण्डल द्वारा ऐसी पाक्लियों के, जो इस अधिनियम द्वारा उसको प्रदान की गयी हो. प्रयोग से संबंधित समस्त मामले. जी कि मण्डल ने विनियमों द्वारा र्न * * । धारा 24 के अधीन गिंदि की स्पी किसी [* *] समिति की प्रत्यायोजित कर दिये हैं।, उस समिति की निर्दिष्ट किसे गये समझे जायेंगे, और मण्डल किन्ही भी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के पूर्व प्रश्नास्पद विषय के सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस पर विचार करेगा।

मध्य द्वारा कमितियाँ को प्रस्थानीनित की

परन्तु जहां मण्डल की राय में किसी सी ऐसे सामले के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो बहां वह उसके सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट के विना ही उस पर कार्यवाही करने के लिए अञ्चलर हो सकेगा, और उस पर रेष्ट्रै आदेश वे संनेमा जैसे कि वह आवश्यन समझे.

नामंत्रः । अधिनियम इत्यार 🗯 एवं 1944 की धारा 12 हारा प्रति स्थारंपत

मध्यप्रतः अधिनियम कपार १ ५२ ३३%। की शाद 12 (एक) हाए सूप्त की गई.,

क्षक् "राज्योजित सवस्यो को पोरका- मध्यप्रेय अधिनियम क्रमान 11 भन् 1979 की ब्रास 12 (वी) बारा सुन्त किये

मध्यपुरेश अधिनिधम क्रमान !! शन् 1929 की बारा 12 (वीन) दारा सूच्य को गई.

मध्य-१९५ अधिनियम अभाक 33 भन १९५५ की श्रारा 13 हारा कब्दी का लोग किया गया.

Proceedings not invalidate by recma of vacageirs. 26. Subject to the provisions of this Act or any rules, regulations or byelaws made thereunder, no act or proceeding of the Board, ¹[* *] the Executive Committee or of a Committee constituted under section 24 shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy amongst the members of the Board; ¹[* *] or such Committee.

Power to make rules.

- 27. (1) The State Government may, '[* *] make rules for carrying out all or any of the purposes of this Act.
- (2) All rules made under sub-section (1) shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Power of Board to make regulations.

- 28. 2(1) The Board may make regulations not inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.]
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Board may make regulations providing for all or any of the following matters, namely—
 - 1[(a)
 - (b) the constitution, powers and duties of Committees constituted under section 24;
 - ³[(bb) the imposition of penalty on candidates unsing unfair means or interfering the the examination conducted by the Board;]
 - (c) The award of diplomas or certificates;
 - 4](d) the conditions of recognition of institutions for purposes of admission to the privileges of the Board, the qualification and condition of service of teachers and framing of a School Code to ensure a minimum standard of efficient and unifrom management of such institutions;]
 - (e) the courses of study to be laid down for all diplomas or certificates;
 - (f) the conditions under which candidates shall be admitted to the examinations of the Board and shall be eligible for diplomas or certificates.;
 - (g) the fees for admission to the examination of the Board;
 - (h) the conduct of examinations;
 - (i) the appointment of examiners and their duties and powers in relation to the Board's Examinations;

1.

^{1.} Omized by Section 14, 15, 16, of the Madhye Pradesh Act, No. 31 of 1994.

^{2.} Substituted by Section 13 (a) of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979.

^{3.:} Inserted by Section 13 (b) (i) of the Madhys Prodesh Act, No. 11 of 1979.

⁴ Substituted by Section 13 (b) (ii) of the Madhya Pradesh Act, No. 11 of 1979.

26. इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों, विनियमों या अध्या के भारत उपविश्वियों के अधीन रहते हुए, मण्डल ¹[* *] कार्यपालिका समिति का या बारा 24 के अधीन व्यक्तिक की गठी किसी समिति का कोई भी कार्य या कार्यकाही केवल इस कारण अविधिवत् नहीं व्यक्तिक होगी कि मण्डल, 1 * * या ऐसी समिति के सदस्यों में कोई रिक्ति विद्यमान थी.

- 27. (1) राज्य शासन, 1 * * इस अधिनियम के समस्त या किन्ही भी प्रयोजनों को विषय कार्य कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगा.
 - (2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.
- 28. ²(1) मंडल इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये ऐसे किट क्लाब की विनियस बना सकेगा जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से क्या के क्या वि असंगत न हो.
- (2) विश्लेषतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना मण्डल निम्न लिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिये उपवन्त करते हुए विनियम बना सकेगा, अर्मात् :--
 - 1(事)
 - (स) धारा 24 के अधीन गठित समितियों का गठन, शक्तिया तथा कर्तव्य;
 - ³[(संख) मंडन द्वारा संचालित की गई परीक्षा में अनुचित साधन उपयोग में लाने वाले या परीक्षा में हस्तक्षेप करने वाले अन्यार्थियों पर शास्ति का अधिरोपित किया जाना,
 - (ग) उपाधि-पत्रों या प्रमाण-पत्रों का प्रदान किया जाना:
 - (घ) मण्डल के विशेषाधिकार देने के प्रयोजनों के लिये संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की शर्ते अध्यापकों की अर्हता संबंधी शर्ते और उनकी सेवा-शर्ते तथा ऐसी संस्थाओं के दक्षतापूर्ण एवं एक से प्रवध का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के हेतु शाला-संहिता (स्कूल कोड) का बनाया जाना.]
 - (क) समस्त उपाधि-पत्रों या प्रमाण-पत्रों के लिए निर्धारित किया जाने वाला पाठ्यक्रम;
 - (च) ऐसी शर्ते, जिनके अधीन अभ्यर्थियों को मण्डल की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जायगा और वे उपाधि-पत्रों या प्रमाण-पत्रों के लिये पात्र होंगे.
 - (छ) मण्डल की परीक्षा में प्रवेश के लिये कीस.
 - (ज) परीक्षाओं का संचालन:

1.

(म) परीक्षकों की नियुक्ति और मण्डल की परीक्षाओं के सम्बन्ध में उनके कर्तव्य तथा शक्तियाः

नव्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 31 सन् 1994 की वारा 14, 15, 16 हारा शब्दों का शीप किया गया.

² मध्यप्रदेश मिश्रियम क्रमांक 11 सन् 1979 की बारा 13 (क) शारा व्यापित की सई.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमोक 11 सन् 1979 की धारा 13 (व) (एक) द्वारा अन्तःस्थापित की वर्दे

मध्यप्रवेश विविधियंग क्रमांक 11 सन् 1979 की बारा 13 (व) (वी) हारा ज्यापित की गई.

- (j) the admission of institutions to the privileges of recognition and the withdrawal of recognition;
- (k) the appointment of officers, clerks and others servants of the Board and the conditions of their service;
- the consitution of Provident Fund for the benefit of the officers, clerks and other servants employed by the Board.
- (m) the control, administration, safe custody and management in all respects of the finances of the Board; and
- (n) all matters which by this Act are to be or may be provided for by regulations.
- (3) The regulations made under this section shall be subject to the condition of previous publication in the manner set forth in section 24 of the Madhya Pradesh General Clauses Act, 1957 (3 of 1958), and shall not take effect until they have been sanctioned by the State Government and published in the Gazette.
- (4) When the final draft of the regulations is submitted by the Board to the State Government for sanction under sub-section (3), the State Government shall within a period of three months from the date of submission of such draft communicate to the Board either its sanction or refusal to the draft or may suggest such modifications therein as may be deemed necessary in the draft. If the State Government fails to take any action, the final draft as submitted by the Board shall be deemed to have been sanctioned by the State Government and shall be published in the Gazette accordingly.

क€

प्राक

किया

11(29)

CHAPTER V-REPEAL, ETC.

Repeal and Saving

- 30. (1) As from the date specified for the establishment of the Board under subsection (1) of Section 3, the following consequences shall ensue, namely:—
 - (a) the Madhya Pradesh Secondary Education Act. 1959 (10 of 1959), shall stand repealed;
 - (b) the Board of Secondary Education existing immediately before the date aforesaid shall cease to exist;
 - (c) all assets and liabilities of the Board referred to in clause (b) shall vest in the Board established under Section 3;

^{1.} Omitted by Section 17 of the Madhya Pradesh Act No. 31 of 1994.

- (अ) संस्थाओं को मान्यता के विश्लेषाधिकारों का विया जाना और मान्यता का वापिस निया जानाः
- (ट) मण्डल के पदाधिकारियों, लिपिकों तथा अन्य सेवकों की नियुक्ति और उनकी सेवा-कर्तें;
- (ठ) मण्डण हारा नियोजित पक्षक्षिक रियों, किपिणों तथा अन्य सेवकों के फायदे के लिये अविषय-निश्चि का गठन:
- (ह) मण्डल के वित्तों का समस्त रूपेण नियंत्रण, पक्षासन, सुरक्षित-अभिरक्षा तथा प्रबन्ध; जीर
- (ड) ऐसे समस्त विषय 'ओ इस अधिनि। म द्वारा, विनियमी द्वारा उपबंधित किये जाने हों या किये जा सके.
- (3) इस बारा के अधीन बनाये गये विनियम मध्यप्रदेश जरनल क्लाजेज एक्ट. 1957 (क्रमांक 3 सन् 1958) की छा: 24 में उनवर्णित की गयी रीति में पूर्व प्रकाशन की सर्त के अध्यक्षीन होंगे और तब तक प्रशाबी नहीं होंगे जब तक कि वे राज्य शासन द्वारा मंजूर न कर लिये जाय और राजपत्र में प्रकाशित न कर दिये जाय.
- (4) जब विनियमी का अंतिम पारूप, मण्डल हारा राज्य झासन को उपधारा (3) के अधीन मंजूरी के लिये प्रस्तृत 'केया जाय, ता राज्य झासन ऐसे प्रारूप के प्रस्तृत किये जाने के दिनाक से तीन मास की कारावित, के भीतर नण्डल को या तो प्रारूप के मध्र कर लिये जाने या अस्वीकार कर दिये जाने के सम्मन्ध में संग्रित करेगा या उसमें एसे रूपमेदनों का मुझाव देगा जो कि प्रारूप में आवश्यक समझे जाय गदि राज्य झासन बोर्ड कार्यवाही न करे., तो मण्डल द्वारा प्रस्तृत किया गया अरिल प्रारूप राज्य झासन हारा मंजू किया हुआ समझा जायगा और तब्नुसार राज्यत्र में प्रशामित किया जायगा.

1[(29) * * * * *

पांचवा बद्याय-निर प्रन बावि

- 30. (1) घरा 3 की उपधारा (1) के अधीन माडल की स्थापना के लिये उल्लिखित किये किला का कार्की गये दिनाक से नि नलिखित परिणाम होंगे —
 - (क) मध्य दिश्र संकेण्डरी एज्यूकेशन ्क्ट, 1955 (के शक 10 जून, सन् 1959) निरस्त हो जायगा;
 - (ख) पूर्वोक्त दिनांक के ठीक पूर्व विद्यमान २१ अमिक शिक्षा मण्डल, अस्तित्व में नहीं रहेगा;
 - (ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किये गये मडल की प्रमस्त आस्तियां तथा दायित्व धारा 3 के अधीन स्थापित किये गये मण्डल में निर्दृष्ट हो जायेगी;

वध्यप्रदेश अधिनियम क्षमांक 31 जन् 1994 की बारा 17 द्वा । शोप किया गया

- (d) all employes belonging to or under the control of the Board referred to in clause (b) immediately the employees of the Board established under Section 3:
- Provided that the terms and conditions of service of such employees shall not, until altered by a competent authority, be less favourable than those admissible to them while in service of the Board referred to in clause (b):
- (e) all records and papers belonging to the Board referred to in clause (b) shall vest in and be transferred to the Board established under Section 3.
- (2) Notwithstanding the repeal of the Madhya Pradesh Secondary Education Act, 1959 (10 of 1959), things done or emitted to be done and action taken by any authority by or under the provision of the said Act shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under this Act.

Transitory Previsions. 31. Notwithstanding anything contained in this Act, the Executive Committee constituted under Act repealed under Section 30 shall continue to function till such time as the Executive Committee is constituted in accordance with the provisions of Section 19.

Power to remove difficulty. 32. If any doubt or difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, make such provisions, not inconsistent with the purposes of this Act, as appear to them to be necessary or expedient for removing the doubt or difficulty.

分 朝 南切

180

W TO BE BY SELECT

· 中國 · 14 17 17 17

- (घ) पूर्वोक्त विनाक के ठीक पूर्व, खण्ड (ख) में निर्दिश्ट किये गये मण्डल के या उसके नियंचणाधीम समस्त कर्मचारी धारा 3 के. अधीन स्थापित किये गये मण्डल के कर्मभारी समझे जायेंगे,
- परन्तु ऐसे कर्मकारियों की सेवा के निवन्धन तथा गर्ते. जब तक वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्षित न की जाय, उन निवन्धनों तथा गर्सी से कम अनुकूल नहीं होंगी जो खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किये गये मण्डल की सेवा में रखते हुये उनके लिये स्वीकार्य थी,
- (छ) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किये गये मण्डन के समस्त अभिलेख तथा कागद धारा 3 के अधींन स्थापित किये गये मण्डल में निहित हो जायेंगे तथा उसकी अन्तरित हो
- (2) मध्यप्रदेश सेकन्द्री एज्यूकेशन एक्ट, 1959 (क्रमांक 10 सन् 1959)-के निरसन के होते हुए भी, उक्त अक्षिनियम के उपबन्ध हारा या उसके अधीन किसी भी प्राधिकारी हारा की गई या करने से खोड़ वी गई बाते तथा की गई कार्यवाही, जहां तक कि ते इस अधिनियम के उपवन्धी से असरात न हों, इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जावेगी
- 31. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 30 के अधीन निर्मित अधिनियम के अधीन गठित कार्यपालिका समिति ऐसे समय तक कार्य करती रहेगी जब तक कि धारा 19 के उपबन्धों के अनुसार कार्यपालिका समिति गठित न हो जाय.
- 32. यदि इस अधिनियम के उपवन्धों को प्रभावी बनाने में कोई शंका या कठिनाई उत्पन्त अध्या के के हो, तो राज्य भासन, आवेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबन्ध कर सकेंगा जो कि उसे जना या कठिनाई दूर करने के लिये आवक्यक या इंड्कर प्रतीत हो.

-0-0-